भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1033

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 08 फरवरी, 2021

19 माघ, 1942 (शक)

असम में संरक्षित स्मारक

1033. श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम के अंदर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने अपने स्मारक/स्थलों पर आगंतुकों की उच्चतम संख्या संबंधी सीमा को हटा दिया हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में एसओपी जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इन स्मारक/स्थलों के अतिक्रमण के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं; और
(ङ) इन स्मारकों से अतिक्रमण को हटाने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): असम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के अधीन 55 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं।

(ख): जी, हां। केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों में आने वाले पर्यटकों की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है। तथापि, प्रतिदिन कुल कितने पर्यटकों को अनुमति दी जाए, इसका निर्णय संबंधित अधीक्षण पुरातत्वविद्/अधीक्षण पुरातत्वविद् (प्रभारी) जिला मजिस्ट्रेट, जोकि जिले की जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, की सहमति से निर्णय ले सकते हैं।

(ग): मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और राज्य/जिला प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रोटोकोल पर विचार करते हुए समय-समय पर जारी किया गया। मानक प्रचालन प्रक्रिया के दायरे में सामाजिक दूरी, फेस मास्क/मास्क का उपयोग, प्रवेशद्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हाथों की सफाई, संवेदनशील केंद्रों, नामित प्रवेश-निर्गम द्वारों पर आवाजाही को प्रतिबंधित/विनियमित करना, पैदल मार्ग पर पर्यटकों की आवाजाही को नियंत्रित करना, नियमित सफाई और स्वच्छता आदि जैसे मामले आते हैं।

(घ): जी, हां।

(ङ): संरक्षित स्मारकों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम, 1959 के उपबंधों के तहत ठोस कदम उठाए जाते हैं। अधीक्षण पुरातत्वविद् अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं जिसके बाद ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जिला क्लेक्टर/मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है। अतिक्रमणों पर रोक लगाने और उन्हें हटाने के लिए मंडलों के प्रभारी अधीक्षण पुरातत्वविदों को लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगी की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत संपदा अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त नियमित निगरानी और पहरा स्टॉफ के अलावा प्राइवेट सुरक्षा कर्मचारी, राज्य पुलिस गार्डों और सीआईएसएफ को भी स्मारकों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है।

*****